माननीय उपराष्ट्रपति, श्री वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक भवन समर्पित किया

- यह बीईई द्वारा मान्यता प्राप्त, विद्युत नियामक भवन राज्य में पहला ईसीबीसी का अनुपालन करने वाली इमारत है
- प्रति वर्ष 80,000 यूनिट बिजली की बचत
- भवन में 70 किलोवॉट रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र से प्रति वर्ष **1,00,000** किलो वॉट घंटा बिजली का उत्पादन करना

लखनऊ, 26 मई, 2018 : माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, श्री राम नायक, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री, श्री श्रीकांत शर्मा और उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री (विद्युत राज्य मंत्री) श्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के प्रमुख कार्यालय, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को समर्पित किया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा प्रमाणित, विद्युत नियामक भवन राज्य का पहला ईसीबीसी (ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता) का अनुपालन करने वाला भवन है और इससे प्रति वर्ष 80,000 यूनिट बिजली की बचत होने की उम्मीद है। इस अवसर पर, बीईई के महानिदेशक श्री अभय बाकरे ने माननीय उपराष्ट्रपति को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया।

इसके अलावा, इमारत में 70 KWp (किलोवॉट पीक) रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र है जो प्रति वर्ष एक लाख किलोवॉट घंटा बिजली उत्पन्न करेगा। इस पहल के साथ, विद्युत निमायक भवन में प्रति वर्ष 80,552 किलोवॉट घंटा की ऊर्जा बचत होगी, जिसमें प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस, 66 टन कार्बन डाइऑक्साइड और 4.6 वर्ष का पेबैक समय होगा।

इस उपलब्धि पर राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए श्री वेंकैया नायडू ने कहा, ''यह एक गौरवशाली क्षण है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोगों के समक्ष इस महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी परियोजना को समर्पित करते हैं। हमारी सरकार प्रौद्योगिकी को नवाचारी रूप में प्रस्तुत करने और उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जो नागरिकों को मिलने वाली सुविधा पर समझौता किए बिना उत्सर्जन को कम करेंगे। ईसीबीसी ऐसी एक परियोजना है जो देश को कार्बन उदासीन राष्ट्र (कार्बन न्यूट्रल नेशन) के रूप में साकार करने में मदद करेगी।''

इस अवसर पर बोलते हुए बीईई के महानिदेशक श्री अभय बाकरे ने कहा, ''बीईई को उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जिन्होंने इस परियोजना को दक्षतापूर्वक करने में हमें समर्थन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि अधिक से अधिक संगठनों के स्वामियों, सरकारी विभागों और नागरिकों को अपने संगठन ईसीबीसी के अनुरूप बनाने में प्रोत्साहन दिया जाएगा क्योंकि वे इससे अपार लाभ उठा सकते हैं। वे अपने आराम में कोई समझौता किए बिना अपने मासिक बिलों में भारी कमी महसूस करेंगे।''

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जल्द ही वाणिज्यिक भवनों के लिए ईसीबीसी को 100 किलोवॉट से जुड़े लोड या 120 केवीए की संविदा मांग के साथ अनिवार्य बना दिया जाएगा। ईसीबीसी को बीईई,

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है जो भारत भर में नई व्यावसायिक इमारतों के निर्माण के लिए ऊर्जा निष्पादन मानकों को निर्धारित करता है। ईसीबीसी भवन में ऊर्जा खपत को कम करने और कम कार्बन वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के निर्माण में वर्तमान और भविष्य में प्रगति की दिशा प्रदान करता है। संहिता में बिल्डरों, डिजाइनरों और वास्तुकारों के लिए पैसिव डिजाइन कार्यनीतियों को शामिल करने के साथ डिजाइन के निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समेकित करने के लिए पैरामीटर सेट किए गए हैं। संहिता का लक्ष्य लोगों के लिए आराम स्तर के साथ ऊर्जा बचत को अनुकूलित करना है और वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा उदासीनता (एनर्जी न्यूट्रैलिटि) प्राप्त करने के लिए जीवन चक्र लागत प्रभावशीलता को प्राथमिकता देना है।

ऊर्जा दक्षता के ब्यूरो के बारे में

1 मार्च, 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को भारत में ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण को विनियमित करने तथा बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। इसका लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ, स्व–विनियमन और बाजार के सिद्धांतों पर बल देने के साथ नीतियों और कार्यनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

मीडिया प्रबंधक : टेली : 011 – 26766707, ईमेल आईडी : atripathi@beenet.in

बीईई, सेवा भवन, चौथा तल, नई दिल्ली